

# कार्यालय प्रधानाचार्यः जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर।

पत्र संख्या-236 / एन०डी०/2023

दिनांक-20/06/2023

सूचना :-

राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में विभिन्न विभागों/ड्रामा सेक्टर के अन्तर्गत संविदा के आधार पर आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर सेवायोजन हेतु विज्ञापित।

इस कार्यालय की सूचना संख्या-203/एन०डी०/2023 दिनांक 12-06-2023 में आंशिक संशोधन करते हुये विज्ञापित पदों में से अतिरिक्त भरे पदों का समायोजन करने के उपरान्त रिक्त पदों को रोगी उपचार/एन०एम०सी० (एम०सी०आई०) मानकों की पूर्ति हेतु इस चिकित्सा महाविद्यालय/सुपर स्पेशियलिटी इन्स्टीट्यूट (पी०एम०एस०एस०वाई०) एवं नव सृजित पदों के विरुद्ध रिक्त आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु इन पदों पर चयन वाक-इन-इन्टरव्यू (walk-in-interview) पद्धति से शासन द्वारा नियुक्त चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह साक्षात्कार हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ माह के प्रत्येक शुक्रवार को परीक्षा हॉल-3, मेडिकल कालेज, कानपुर में प्रातः 10:00 बजे से सायं-04:00 बजे के मध्य उपस्थित हो। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वह साक्षात्कार के दिवस अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों तथा एन०एम०सी० की गाइड लाइन के अनुसार सहायक आचार्य हेतु सीनियर रेजीडेंसी एवं आचार्य/सह आचार्य हेतु एम०ई०टी०/बी०सी०बी०आर०प्रमाण पत्र की (स्व प्रमाणित) छायाप्रतियों का एक सेट बायोडाटा सहित भी लायेंगे। चिकित्सा शिक्षकों के पदों की रिक्तियों एवं नियुक्ति की शर्तें महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के वेबसाइट <http://updgcme.in> एवं जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर के वेबसाइट [www.gsvmmmedicalcollege.com](http://www.gsvmmmedicalcollege.com) पर उपलब्ध हैं। पदों की संख्या घट बढ़ सकती है।

क्र.सं.	विशिष्टता का नाम	संविदा चिकित्सा शिक्षकों की रिक्त पदों की संख्या								
		आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर कमाक	सह आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर कमाक	सहायक आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर कमाक
1	आर्थोपैडिक्स	0	0	0	1	अनारक्षित ओ०बी०सी०	(54) (55) (56)	1 1 1	अनारक्षित अनारक्षित ओ०बी०सी०	(83) (84) (85)
2	आम्थलमोलॉजी	0	0	0	1	अनारक्षित एस०सी०	(57) (58) (59)	1 1 1	अनारक्षित ओ०बी०सी०	(86) (87)
3	आब्स्टेट्रिक्स एण्ड गायनोकोलाजी	0	0	0	1	ई०डब्ल्यू०एस० ओ०बी०सी०	(60) (61)	1 1	अनारक्षित एस०सी०	(88) (89)
					1	अनारक्षित	(62)	1	ई०डब्ल्यू०एस० ओ०बी०सी०	(90)
					1	अनारक्षित	(63)	1	अनारक्षित	(91)
					1	अनारक्षित	(64)	1	अनारक्षित	(92)
					1	ओ०बी०सी०	(65)	1	एस०सी०	(93)
4	इमरजेन्सी मेडिसिन	1	एस०सी० अनारक्षित	(53) (54)	1 1	अनारक्षित ओ०बी०सी०	(66) (67)	1 1	अनारक्षित ओ०बी०सी०	(94) (95) (96)
5	एन्डोक्रायनोलॉजी (पीएमएसएसवाई)	1	अनारक्षित	(38)	1	ओ०बी०सी०	(37)	0	0	0
6	एनाटमी	0	0	0	1	अनारक्षित	(6)	1	ओ०बी०सी० ई०डब्ल्यू०एस० ओ०बी०सी०	(39) (40) (51)
								1	अनारक्षित	(76)
7	एनेस्थीसिया	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(7)	1	एस०सी०	(11)
					1	अनारक्षित	(8)	1	अनारक्षित	(14)
					1	अनारक्षित	(36)	1	एस०सी०	(15)
					1	अनारक्षित	(68)	1	ई०डब्ल्यू०एस० एस०टी०	(60) (97)
								1	अनारक्षित	(98)
								1	एस०सी०	(99)
8	एनेस्थीसियोलॉजी,आई.सी.यू. (पीएमएसएसवाई)	1	ओ०बी०सी०	(39)	1	ओ०बी०सी०	(39)	1	ओ०बी०सी०	(61)
9	ओटो-राइनो-लैरिंगोलॉजी (ई०एन०टी०)	1	ओ०बी०सी०	(55)	1	एस०सी०	(69)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(100)
10	कम्यू मेडिसिन	0	0	0	0	0	0	1	ओ०बी०सी० अनारक्षित ओ०बी०सी०	(17) (18) (81)
								1	एस०सी०	(101)
								1	अनारक्षित	(102)
11	किटिकल केयर, आइ.सी.यू. (पीएमएसएसवाई)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(40)	0	0	0	1	अनारक्षित	(62)
12	जनरल मेडिसिन	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(71)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(20)
					1	अनारक्षित	(72)	1	एस०टी०	(47)
					1	एस०सी०	(73)	1	अनारक्षित	(52)
					1	अनारक्षित	(74)	1	एस०सी०	(53)
					1	ओ०बी०सी०	(75)	1	अनारक्षित	(54)
					1	अनारक्षित	(76)	1	ओ०बी०सी०	(55)
					1	ओ०बी०सी०	(77)	1	एस०सी०	(63)
					1	अनारक्षित	(78)	1	ओ०बी०सी०	(103)
					1	अनारक्षित	(79)	1	अनारक्षित	(104)
								1	एस०सी०	(105)
								1	अनारक्षित	(106)
								1	ओ०बी०सी०	(107)
								1	अनारक्षित	(108)
								1	ओ०बी०सी०	(109)
								1	ई०डब्ल्यू०एस० एस०टी०	(110) (111)
13	जनरल सर्जरी	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(81)	1	एस०सी०	(21)
					1	अनारक्षित	(82)	1	अनारक्षित	(24)
					1	एस०सी०	(83)	1	ओ०बी०सी०	(65)
					1	अनारक्षित	(84)	1	अनारक्षित	(112)
					1	ओ०बी०सी०	(85)	1	ओ०बी०सी०	(113)
					1	अनारक्षित	(86)	1	अनारक्षित	(114)
					1	ओ०बी०सी०	(87)	1	एस०सी०	(115)
					1	अनारक्षित	(88)	1	अनारक्षित	(116)
					1	एस०सी०	(89)	1	ओ०बी०सी०	(117)
					1	ई०डब्ल्यू०एस०	(90)	1	अनारक्षित	(118)
					1	ओ०बी०सी०	(91)	1	ओ०बी०सी०	(119)
14	ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन	1	ओ०बी०सी०	(61)	1	अनारक्षित	(92)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(120)
15	डर्मेटोलॉजी,वेनेरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी	1	अनारक्षित	(62)	1	अनारक्षित	(92)	1	एस०सी०	(121)
16	न्यूरो-एनेस्थीसिया,आई.सी.यू. (पीएमएसएसवाई)	1	एस०सी०	(41)	1	ओ०बी०सी०	(43)	1	अनारक्षित	(66)

क्र.	पद	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
17	डर्मटोलॉजी, वेनेरोलाजी एण्ड लेप्रोसी	1	अनारक्षित	(62)	1	अनारक्षित	(92)	1	एस0सी0 (121)
18	न्यूरो-एनेस्थीसिया, आई.सी.यू. (पीएमएसएसवाई)	1	एस0सी0	(41)	1	ओ0बी0सी0	(43)	1	अनारक्षित (66)
19	न्यूरो-रेडियोलॉजी (पीएमएसएसवाई)	1	अनारक्षित	(42)	1	अनारक्षित	(44)	1	ओ0बी0सी0 (67)
20	न्यूरो-अपथलमोलॉजी (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	एस0सी0	(45)	0	0
21	न्यूरो-पैथोलॉजी (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	0	0	0	1	अनारक्षित (68)
22	नेफ्रोलॉजी	1	ओबीसी	(27)	0	0	0	0	0
23	नेफ्रोलॉजी, (पीएमएसएसवाई)	1	अनारक्षित	(44)	0	0	0	1	0
24	पीडियाट्रिक्स	1	अनारक्षित	(64)	1	एस0सी0	(93)	1	एस0सी0 (69)
					1	अनारक्षित	(94)	1	ई0डब्ल्यूएस0 (30)
					1	ओ0बी0सी0	(95)	1	अनारक्षित (122)
					1	अनारक्षित	(96)	1	अनारक्षित (123)
					1	एस0टी0	(97)	1	अनारक्षित (124)
					1	अनारक्षित	(98)	1	एस0सी0 (125)
					1			1	अनारक्षित (126)
					1			1	ओ0बी0सी0 (127)
					1			1	अनारक्षित (128)
					1			1	ओ0बी0सी0 (129)
					1			1	ई0डब्ल्यूएस0 (130)
25	पेन-मेडिसिन (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	एस0टी0	(47)	1	ओ0बी0सी0 (71)
26	पैथोलॉजी	0	0	0	0	0	0	1	एस0सी0 (131)
27	फार्माकालॉजी	1	एस0सी0	(49)	1	एस0सी0	(25)	1	अनारक्षित (32)
28	फिजिकल एण्ड मेडिकल रिहैबिलिटेशन (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	अनारक्षित	(34)	1	अनारक्षित (132)
29	फिजियोलॉजी	0	0	0	1	अनारक्षित	(48)	1	एस0सी0 (73)
30	फोरेंसिक मेडिसिन	1	अनारक्षित	(52)	1	अनारक्षित	(26)	1	अनारक्षित (46)
31	बायोकेमिस्ट्री	1	ओ0बी0सी0	(51)	0	0	(49)	1	ओ0बी0सी0 (133)
					1	एस0सी0	(99)	1	अनारक्षित (134)
32	माइक्रोबायोलॉजी	0	0	0	0	0	0	1	एस0सी0 (35)
								1	एस0सी0 (135)
								1	अनारक्षित (136)
33	मेडिकल गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी(पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	ई0डब्ल्यूएस0	(50)	1	ओ0बी0सी0 (137)
34	रेडियोलॉजी/ग्नोसिस	1	ओ0बी0सी0	(37)	1	ई0डब्ल्यूएस0	(30)	1	अनारक्षित (138)
					1	ई0डब्ल्यूएस0	(100)	1	ओ0बी0सी0 (139)
					1	एस0सी0	(101)	1	अनारक्षित (74)
					1	अनारक्षित	(102)	1	अनारक्षित (36)
35	साइकियेट्री	1	अनारक्षित	(66)	1	अनारक्षित	(102)	1	ओबीसी (37)
					1	अनारक्षित	(102)	1	अनारक्षित (38)
					1	अनारक्षित	(102)	1	अनारक्षित (56)
					1	अनारक्षित	(102)	1	अनारक्षित (82)
					1	अनारक्षित	(102)	1	ई0डब्ल्यूएस0 (140)
					20			100	

उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण देय होगा संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत हैं:-

- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन रु०-90,000/- प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदनकर्ता को Medical Council of India, Minimum Qualification For Teachers in Medical Institutions Regulations, 2022 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अहर्ताएं एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
- शासनादेश संख्या- 2282/71-1-2013-जी-11/2011 दिनांक 23-09-2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।
- शासनादेश सं०-562/71-1-2020-जी-63/2008 दिनांक 10 जून, 2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
- चयन से सम्बन्धित कालेज से उत्तीर्ण अभ्यर्थी तथा नये स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को पूर्ववर्ती अभ्यर्थी पर वरीयता प्रदान की जायेगी।
- चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अहर्ता/शैक्षिक अनुभव उ० प्र० राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की जारी सेवा नियमावली (पंचम संशोधन)-2018 एवं समय-समय पर पूर्व में निर्गत सेवा नियमावली में नियत व्यवस्था के अनुसार होगी।
- ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
- कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आये रोगियों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
- उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवानिवृत्त लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेंगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
- ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा से चयनित अभ्यर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर कार्यकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे उक्त कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होगा।
- चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
- संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय 01 माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह मविध में अपने कार्य एवं अपने कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
- अभ्यर्थियों से साक्षात्कार के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरुद्ध न्यायलय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है, यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी।
- उ०प्र०शासन, कार्मिक अनुभाग-2, उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-ii दिनांक 18-02-2019 के अन्तर्गत ई0डब्ल्यूएस0 (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु कुल वार्षिक आय रु० 8.00 लाख से कम होगी तथा परिवार की आय और परिसम्पत्ति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिवार्य अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण नेट पर देखा जा सकता है।
- सुपर स्पेशियलिटी के पदों की शैक्षिक अहर्ता नवीन एन0एम0सी0 गाइड लाइन के अनुसार अनुमन्य होगी।
- सुपर स्पेशियलिटी के पदों का समायोजन होने की दशा में पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।

सं०- /तददिनांक  
प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
1- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करे।  
2- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ०प्र०।  
3- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ० प्र० लखनऊ।  
4- नोडल अधिकारी बेब साइट, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।  
प्रधानाचार्य  
मेडिकल कालेज, कानपुर